न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प, सागर म.प्र.

निग 2964-I-16

दरबारी तनय बाबूलाल यादव

साकिन- ग्राम पुरैना बख्शी, तह. हटा जिला दमोह वा अन्य

.. आवेदकगण

// विरूद्ध //

नरान तनय झुल्ले रजक सा. पुरैना बख्शी.

सा. हटा, तह. हटा जिला दमोह म.प्र. .. अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा. संहिता 1959.

उपरोक्त आवेदक राजस्व निरीक्षक, हटा तहसील हटा, जिला दमोह द्वारा रा.प्र.क.-08अ/12/सन् 15-16 में पारित आदेश दिनांक - 30.6.16 एवं सीमांकन दिनांक 17.06.16 से परिवेदित होकर निम्न प्रमुख कानूनी तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत करते हैं :-

1:- यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि के विपरीत एवं तथ्यों के प्रतिकूल होनेके कारण निरस्त किए जाने योग्य है ।

2:- यहकि आवेदकगण एवं अनावेदक की कृषि भूमि ग्राम पुरैना बख्शी प.ह.नं. 58 में स्थित है जिसमें खसरा नंबर 68/28 ख रकबा 0.36 हेक्टेयर भूमि अनावेदक के नाम दर्ज है एवं आवेदकगण की भी शामिल शरीक पारिवारिक भूमि है ।

3:- यहकि अनावेदक द्वारा सीमांकन के समय अधी. न्यायालय द्वारा आवेदक को कोई सूचना पत्र लिखित में जारी नही किया गया और ना ही कोई जानकारी संबंधितपटवारी द्वारा दी गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से सीमांकन किया

..2..

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2964–एक/2016 जिला–दमोह

दरबारी यादव विरूद्ध नरान बख्शी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री वीरेन्द्र तिवारी अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक हटा, तहसील हटा, जिला–दमोह के प्रकरण क्रमांक 08/अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30–06–2016 एवं 17–06–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 8/3/19 सदस्य	